कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मोहन मीकिन लि0, डालीगंज, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**34 / 2006 (प्रतिप्रेषित)**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एस0 एन0 वर्मा, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-35 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-34 / 06, दिनांक 30.11.06 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से निम्न प्रश्न पूछा गया था :-

क्या यू0 ए0 इ0 बेस कम्पनी की एयर पोर्ट पर स्थित ड्यिूटी फ्री शाप को बेची गयी ओल्ड मान्क रम पर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (1) के अन्तर्गत डीम्ड एक्सपोर्ट होने के कारण करमुक्त है अथवा नहीं ?

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत धारा-35 के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते हुए कमिश्नर, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.11.07 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कमिश्नर, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने उपरोक्त आदेश में व्यापारी के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किये जाने के निम्न कारण अंकित किये गये थे :-

1-प्रार्थी द्वारा नियत तिथि तक कोई साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे ड्यिूटी फ्री शाप को बेचे गये माल को निर्यात होना सिद्ध हो सके।

2-व्यापारी द्वारा ऐसा कोई अभिलेख / अनुबन्ध प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त माल को देश में दुबारा न लाये जाने का उल्लेख हो तथा ऐसे माल को एयरपोर्ट पर स्थानीय रूप से बिक्री करने पर कोई प्रतिबन्ध किया गया हो।

3-सम्बन्धित प्रकरण में फर्म द्वारा पूछा गया प्रश्न अपरिपक्व है तथा प्रार्थी द्वारा वास्तविक तथ्य एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

2. उपरोक्त तीनों आधारों पर व्यापारी का धारा-35 का प्रार्थना-पत्र तत्कालीन कमिश्नर, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 20.11.07 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था जिसके विरूद्ध प्रार्थी / व्यापारी / सर्वश्री मोहन मीकिन लि0, डालीगंज, लखनऊ द्वारा माननीय न्यायालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्ण पीठ के समक्ष अपील संख्या-3 / 2008 दाखिल की गयी। माननीय न्यायालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्ण पीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.02.10 द्वारा उपरोक्त वाद पुन: कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कुछ निर्देशों के साथ पुन: सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया जिसके माध्यम से कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को

.....2

यह निर्देश दिये गये कि वह व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए व्यापारी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, सभी सुसंगत अभिलेख तथा न्यायिक निर्णयों पर समुचित विचार करने के पश्चात् यथोचित एवं सुसंगत निर्णय पारित करें । माननीय न्यायालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने निर्णय में व्यापारी को यह निर्देश निर्गत किये गये कि व्यापारी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को समुचित अभिलेख उपलब्ध कराएगा ।

3. उपरोक्त प्रतिप्रेषित वाद की सुनवाई हेतु व्यापारी को सुनवाई हेतु लगभग 15 अवसर दिनांक 09.04.10 से 08.06.11 तक दिये गये तथा आदेश फलक पर ही अधिवक्ता से व्यापारी व ड्यिूटी फ्री शाप (U.A.E.बेस्ड कम्पनी) के मध्य हुए अनुबन्ध की प्रति माँगी गयी । जिससे व्यापारी व ड्यिूटी फ्री शाप के सम्बन्ध में हुए एग्रीमेन्ट की शर्तों को ज्ञात किया जा सके । व्यापारी द्वारा बिना कारणों के बार-बार स्थगन लेने के पश्चात् भी वाद की अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.06.11 तक व आज तक ड्यिूटी फ्री शाप के सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध की प्रति पत्रावली पर दाखिल नहीं कर सके । अत: उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यापारी जान-बूझकर माननीय न्यायालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन न करते हुए अनुबन्ध आदि अभिलेख विभाग को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं । अत: व्यापारी के असहयोग की स्थिति में प्रार्थी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है तथा इन तथ्यों एवं केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम की धारा-5 के प्राविधानों आदि को देखते हुए व्यापारी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा कमिश्नर, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 20.11.07 को पारित निर्णय प्रस्तुत मामले में यथावत् रहेगा ।

4. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 15 नवम्बर, 2011

ह0 15.11.11

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।